FROM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम डूंगला जिला चित्तौड़गढ़

....बनाम ....

किस्म मुकदमा – पत्थरगढ़ी   नं. 15/2021   सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिथिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख की तामील में जारी हुए
16.3.2021	प्रार्थी की ओर से वकील श्री कमलेश योगी, प्रीति ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट के तहत् इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा किशनकोटड़ी पटवार मण्डल किशनकोटड़ी तहसील डूंगला की आराजी नम्बर 547 रकबा 1.5200 रकबा 1.5200 हैक्टर/बीघा भूमि स्वयं की खातेदारी/संयुक्त खातेदारी होकर राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है, जिसका कोई स्थायी सीमा चिन्ह् नही है। तथा विपक्षीगण आराजी के पड़ौसी है प्रार्थी और विपक्षी के मध्य आराजी सीमा को लेकर आये दिन विवाद होता है इसलिए उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराई जावे। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया, बहस सुनी गई। प्राथी जैर बहस आराजी का खातेदार होकर उन्हें नपती कराने का अधिकार निहित है। अतः तहसीलदार डूंगला को रू. 1000/– अक्षरे एक हजार रूपये फीस पर कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मुकदमा पक्षकारान की उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे के अनुसार बिना किसी के कब्जे काश्त मे दखल दिये मौजा किशनकोटड़ी .... पटवार मण्डल किशनकोटड़ी तहसील डूंगला की आराजी नम्बर 547 रकबा 1.5200 है. .... रकबा/बीघा भूमि की पत्थरगढ़ी मुकम्मल तौर पर की जावें। उक्त आशय का हुक्म [illegible] डूंगला को जारी हो। पत्थरगढ़ी पाल[illegible] दिनांक .... तक न्यायालय हाजा में प्रस्तुत [illegible] प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली हो। [illegible] फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। Signature Not Verified Digitally signed by Purshotam Meena Date: 2021.03.23 12:06:37 IST Reason: SelfAttested उपखण्ड अधिकारी डूंगला	